DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------ हिन्दुस्तान नई दिल्ली, गुरुवार, 4 जनवरी 2024 ---DATED----------

अवैध कॉलोनियों की सड़क नेटवर्क योजना बनी

तैयारी

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। नगर निगम ने स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) के साथ मिलकर तीन अवैध कॉलोनियों के लिए सड़क नेटवर्क योजना तैयार की है। इनमें दक्षिणी दिल्ली स्थित खिड़की एक्सटेंशन, उत्तरी दिल्ली स्थित स्वरूप नगर एक्सटेंशन और पूर्वी दिल्ली स्थित ईस्ट आजाद नगर शामिल है।

यह योजना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि डीडीए मास्टर प्लान 2041 में भी दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का प्रावधान ड्राफ्ट में शामिल किया गया है। निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि योजना के क्रियान्वयन के लिए लोगों से प्रतिक्रिया और सुझाव मांगे जाएंगे। नगर निगम के टाउन प्लानिंग विभाग की ओर से तीनों अवैध कॉलोनियों के मैप निगम वेबसाइट में साझा करेंगे। इन कॉलोनियों में रहने वाले लोग और दिल्ली के नागरिक अपनी प्रतिक्रिया 31 जनवरी तक दे सकेंगे। सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद दो माह में इस योजना पर काम शुरू हो जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि इस योजना को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के साथ मिलकर लागू किया जाएगा। इसका फंड डीडीए से उपलब्ध होगा। निगम प्रशासन और डीडीए प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी साथ मिलकर जमीनी स्तर पर सड़कों के नेटवर्क को बेहतर करेंगे। निगम की मौजूदा वित्तीय हालात को देखते हुए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय से भी विशेष विकास फंड की मांग की जाएगी।

कॉलोनियां नियमित होंगी : निगम अधिकारी ने बताया कि इस योजना से राजधानी में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की शुरुआत होगी। दिल्ली में लगभग 1800 अवैध कॉलोनियां हैं। योजना से खिड़की एक्सटेंशन, स्वरूप नगर एक्सटेंशन और ईस्ट आजाद नगर में रहने वाले हजारों लोगों को फायदा होगा।

बुराड़ी में कृषि भूमि पर बना निर्माण ध्वस्त

नई दिल्ली, व.सं.। नगर निगम ने बुधवार को बुराड़ी के प्रधान एनक्लेव में कृषि भूमि पर बनाए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है। निगम के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस डेढ़ एकड़ जमीन पर 5 से 6 हजार गज में अवैध निर्माण किया गया था। इसमें दीवारों और 500 फुट से अधिक सड़कों को ध्वस्त किया गया। उधर, दिल्ली नगर निगम के सिविल लाइंस जोन ने मुखर्जी नगर में बुधवार को सड़कों से अतिक्रमण को हटाया।

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 4 जनवरी 2024

नरेला: नाले का पानी भरने से टूट रही सड़क

■ एनबीटी न्यूज, कुरैनी

कुरैनी गांव से नरेला सेक्टर-A10, रामलीला ग्राउंड की तरफ जाने वाली सड़क की हालत बेहद खराब है। यहां ओवरफ्लो हो रहे नाले का पानी भरने से सड़क डैमेज हो चुकी है। सड़क में बने गड्ढों और उसमें भरे पानी की वजह से लोगों का यहां से पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया है।

लोगों का कहना है कि पंजाबी कॉलोनी और कुरैनी से भी आने वाला पानी सड़क पर जमा हो जाता है। यहां पिछले कई महीनों से सड़क डैमेज है। स्थानीय निवासी सुखबीर सिंह ने बताया कि यह सड़क कुरैनी गांव को नरेला की डीडीए कॉलोनी, सेक्टर-A10, सेक्टर-A6 एरिया से जोड़ती है। यहां पर डीडीए के कई अपार्टमेंट हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत पर डीडीए की तरफ से सड़क बनाई गई थी, लेकिन सही रखरखाव नहीं होने से फिर गड्ढे बन गए हैं।

रात के वक्त होती है ज्यादा दिक्कत

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI THURSDAY, JANUARY 4, 2024 --------DATED----------

What Villagers Want: Piped Water, Roads And Drainage

Day After Interaction With LG, Residents Call For Proper Planning

Atul.Mathur@timesgroup.com

New Delhi: From basic amenities such as piped water, proper drainage, parks and roads to sporting infrastructure and ownership rights for family-owned properties, residents in the capital's rural and urbanised villages have a long list of demands.

Several urban pockets in the capital have seen massive development in the last few years, villagers said they continue to live with the bare minimum facilities.

A day after lieutenant governor VK Saxena interacted with representatives of Delhi's rural and urban villages, the residents of these areas demanded a concerted approach and planning in developing them.

Of nearly 360 villages in Delhi in the 19th century, Delhi now has 49 rural villages. Of the villages, 260 have been urbanised and the rest have disappeared. While talking to the villagers on Tuesday, the LG said the government had a corpus of over Rs 1,300 crore to develop urban and rural villages while over 13,000 acres of gram sabha land — taken over by the DDA after urbanisation of villages — would be used for various development and infrastructure projects to improve the life of people in these pockets.

"First and foremost, the government should carry out a GIS (Geographic Information System) and drone-based survey to demarcate lal dora, extended lal dora and agriculture land and keep a vigil on unauthorised construction. This will help in protecting the gram sabha land in rural villages, which is being eaten up by unauthorised colonies and will help in resolving disputes and pending litigation due to land ownership in urbanised villages," said Paras Tyagi of the Centre for Youth, Culture, Law and Environment (CYCLE), an organisation working for public policy reforms in Delhi's complex governance model. "The survey findings will help in preparing village development plans and create requisite physical and social infrastructure," he said.

While the capital's population has risen manifold in the past few years, unavailability of affordable housing has forced people to build houses in colonies that came up on agricultural, gram sabha and government land. The population in the villages also increased and extended beyond the abadi and lal dora boundaries, leaving little or no space for parks, community centres and other recreational purposes.

Chaudhary Surender Solanki, the head of Palam 360 Khap said over the years the urbanised villages have turned into slums with people having no space for themselves. "In the name of development, only sewer and water lines have been laid. The gram sabha land was taken over and sold for commercial purposes. The roads are narrow and parks and playgrounds have vanished," Solanki said.

"The government must plan parks and playgrounds for children, build air-conditioned community centres and rejuvenate ponds. Each village has some legacy. That history must be mentioned somewhere near the main gate of the village or at chaupal," he added.

Rajbir Solanki of Delhi Mool gramin panchayat at Baprola village, said: "The way we have academies for various languages in the capital, the rich culture of Delhi's villages and their dialects should be persevered and promoted by setting up an academy for it."

He added that the sporting culture should also be promoted by building sports facilities for rural and urban villages.

ENHANCING LIVING CONDITIONS

Villages to get a facelift under Dilli Gramodaya Abhiyan

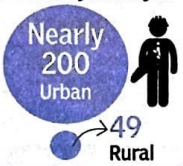

Nearly 13,000 acres | Gram Sabha land in **168 villages** urbanised in 2019 and 2020

About ₹960 crore Gram Sabha area fund **transferred to DDA**

₹480 crore Earmarked as **village development fund for rural villages**

WHAT RESIDENTS OF URBANISED AND RURAL VILLAGES WANT FROM THE GOVERNMENT

- Rejuvenation of all ponds, rainwater harvesting to revive traditional wells
- IGL pipelines for domestic use
- Laying of drainage facilities and pipelines for drinking water
- Identification of land for parks, sports and recreation
- *Chaupal* and airconditioned community centres
- One mini stadium for every 5 villages
- History of villages on main gates
- Primary health centres with qualified doctors and best health facilities
- More government colleges
- Alternative plots not been given against acquired land

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

अमर उजाला

E OF NEWSPAPERS------- 4 जनवरी • 2024 | राष्ट्रीय सहारा

विशेष आवासीय योजना के फ्लैटों की ई-नीलामी कल से

नई दिल्ली। डीडीए ने अपनी स्पेशल हाउसिंग योजना-2023 के बड़े फ्लैटों की ऑनलाइन नीलामी करने की तैयारी पूरी कर ली है। इस योजना के पहले चरण में 516 फ्लैटों की नीलामी की जाएगी। ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू होगी और शनिवार को समाप्त होगी। पहले दिन पेंट हाउस, एमआईजी एवं सुपर एचआईजी फ्लैटों की नीलामी की जाएगी, जबकि दूसरे दिन एचआईजी फ्लैटों की नीलामी होगी। पहले चरण के दौरान ई-नीलामी प्रक्रिया में एक घंटा लगेगा।

डीडीए ने स्पेशल हाउसिंग योजना-2023 के तहत फ्लैटों की बुकिंग की प्रक्रिया 30 नवंबर को शुरू की थी और दो दिसंबर तक इन फ्लैटों की बुकिंग करने की अवधि थी। उसने ई-नीलामी प्रक्रिया का पहला ट्रायल मंगलवार किया था और दूसरा बृहस्पतिवार को होगा। पहले चरण की ट्रायल प्रक्रिया सुबह 11 बजे और दूसरे चरण की दोपहर बाद तीन बजे शुरू होगी। डीडीए ने ई-नीलामी प्रक्रिया में शामिल किए गए फ्लैटों के संबंध में सूची जारी की है। डीडीए ने ई-नीलामी प्रक्रिया को सीधे ऑनलाइन दिखाने की व्यवस्था की है। डीडीए ने बताया कि ई-नीलामी में असफल रहने वाले आवेदकों की जमा राशि 30 दिन के भीतर लौटा दी जाएगी। ब्यूरो

दिवाली स्पेशल हाउसिंग योजना के डीडीए फ्लैटों की ई-नीलामी कल

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की दिवाली स्पेशल हाउसिंग योजना-2023 के बड़े फ्लैटों की ऑन लाइन नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में इस प्रक्रिया में 516 फ्लैटों को नीलामी के लिए शामिल किया जाएगा। यह ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया 5 जनवरी यानी शुक्रवार से शुरू होकर दो दिन चलेगी।

पहले दिन पेंटहाउस, एमआईजी एवं सुपर एचआईजी फ्लैटों की नीलामी होगी। जबकि दूसरे दिन यानी 6 जनवरी को एचआईजी फ्लैटों की नीलामी होगी। डीडीए ने जारी बयान में बताया है कि एक चरण की ई-नीलामी प्रक्रिया में करीब एक घंटे का समय लगेगा और पांच जनवरी को ई-नीलामी प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी। डीडीए उपाध्यक्ष ने इसे मंजूरी दे दी है।

डीडीए ने दिवाली स्पेशल हाउसिंग योजना-2023 के तहत इन फ्लैटों को 30 नवंबर को लांच किया था। ई-नीलामी प्रक्रिया के सीधे ऑनलाइन दिखाने की व्यवस्था की

- **ई-नीलामी को लाइव दिखाने की योजना**
- **दो दिन चलेगी ई-नीलामी प्रक्रिया, 516 फ्लैटों को किया गया है शामिल**
- **ई-नीलामी प्रक्रिया का पहला ट्रायल मंगलवार को किया गया**

गई है। डीडीए ने बताया कि ई-नीलामी प्रक्रिया का पहला ट्राइल मंगलवार दो जनवरी को हो चुका है और दूसरा एवं आखिरी ट्राइल बृहस्पतिवार चार जनवरी को होगा। पहले चरण की ट्राइल प्रक्रिया सुबह 11 बजे और दूसरे चरण की दोपहर बाद 3 बजे शुरू होगी। जिन फ्लैटों को ई-नीलामी प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है, उसके संबंध में डीडीए ने फ्लैटों की श्रेणीवार सूची जारी की है।

अधिकारी ने बताया कि ई-नीलामी में असफल रहने वाले आवेदकों की जमा राशि 30 दिन के भीतर लौटा दी जाएगी। सफल रहने वाले आवेदकों 7 दिन के भीतर डिमांड लेटर जारी कर बिना ब्याज के पैसे जमा कराने का आग्रह किया जाएगा। फ्लैट की बकाया राशि 90 दिनों के अंदर जमा करने पर 10 फीसद का ब्याज देना होगा। उल्लेखनीय है कि डीडीए से पेंट हाउस की आरक्षित कीमत 5 करोड़, सुपर एचआईजी की आरक्षित कीमत 2.5 करोड़, एचआईजी की दो करोड़ और एमआईजी की आरक्षित राशि 1.42 करोड़ से 1.15 करोड़ रुपए के बीच रखी गई है।